

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला—2 (हि०प्र०)



प्ररूप-	-27	
(नियम-266	(4)	देखें)
पंजीकरण हे		

फोट

2. ₹	आवेदक (लाभार्थी) का नाम : स्थाई पता तहसील, पंचायत : तथा ब्लॉक सहित)																
		in.															
						,,,,,,,				*******							
			********							f	पेनक	डि .	a			*******	
		पंच	गयत	Ť						60	नॉक					27.11.11.	
3. f	पेता का नाम						····						tan <mark>er</mark> aali			I	1174
\$. c	वैवाहिक स्थिति	हाँ	1	ना													
5.	जन्म तिथि							I,		11.						. L.	
5 . 8	आधार नम्बर																
	उस स्थापन का नाम, पता और रजिस्टर संख्या जहां : आवेदनकर्ता काम करता है।									*******	********						
8. ÷	नौकरी / रोजगार का स्वरूप / पद:—बढ़ई / पेन्टर / लम्बर / इलेक्ट्रीशियन / मिस्त्री / लेबर्र / बेलदार / अन्य)				,,,,,,,,,		******			********		*******		**********	-1111111	CATAL	
9 3	कुल सेवा संख्या (दिनों में) पिछले 12 महीनों में			******								******			*******	04444	
0. 3	अंशदान-दर								******		********		*******				
11,	बैक शाखा का नाम जहां अंशदान का भुगतान किया :															*** ****	
2. 3	आधार से जुड़ा बैंक खाता नम्बर					L		I									
3.	आई.एफ.सी. कोड																
4.	बैंक से जुड़ा मोबाईल नम्बर	:										_					
-	यदि आवेदक किसी अन्य राज्य / केन्द्रीय शासित क्षेत्र के कल्याण बोर्ड का पहले से सदस्य हो तो उस बोर्ड का नाम और आवेदनकर्ता की पंजीकरण संख्या	7711/4			0117000					********		112011		*******			
16.	आवेदक के परिवार के अन्य सदस्य का नाम और पंजीकरण संख्या (यदि कोई पहले पंजीकृत है)															*******	
3	उपरोक्त तथ्य मेरे ज्ञान और सूचना के अनुसार सही है।	0.000															
तारीख												(आ	वेदव	न के	हस्त	क्षर)	
								नि	योज	क क	ा ना	म, प	ता व	व मोह	FR /	′हस्त	Π&
श्रम अधि	वेकारी के हस्ताक्षर व मोहर		*****		******												



हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला—2 (हि०प्र०)



प्ररूप-28 (नियम-266 (7) देखें) नामांकन प्ररूप

में अधिकार प्राप्त आश्रितों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को मेरी ओर से निधि से देय समस्त राशी प्राप्त करने और मेरी मृत्यु होने की स्थिति में मेरे सभी लाभों की राशी प्राप्त करने के लिए नामित करता हूँ :

नामनिर्दिष्ट व्यक्ति / व्यक्तियों के नाम व पता तथा पंजीकरण संख्या (यदि कोई हो)	ामनिर्दिष्ट व्यक्ति / व्यक्तियों के नाम व सदस्य के साथ नामनिर्दिष्ट की तथा पंजीकरण संख्या (यदि कोई हो) सम्बन्ध तथा जन्मति				
1	2	3	4		

	कर्मकार का नामः
	कर्मकार की पंजीकरण सख्या
स्थान :	पता :
तारीख :	पिनकोड
	पंचायतब्लॉक
- 0 - 0 - 1	(कर्मकार के हस्ताक्षर)
श्रम अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर	(what a security

सभी कॉलम भरने आवश्यक है अन्यथा फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा फार्म में किसी भी तरह की कटिंग मान्य नहीं होगी।



हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला—2 (हि०प्र०)



(नियम-266 (3) देखें)

Certificate of Employment

Certified that Sh./Smt	
Post OfficeTehsil	District State
Panchayat / Block	is working / has worked under my
control at my work site i.e	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

in the establishment of	for a
period of days w.e.f	to during
the preceding 12 months as	(Category/ Rank of Worker) / Job
Card No.	
Date	0:
Date:	Signature

Name, Stamp & Address of the Panchayat Secretary / Contractor/ Employer

Age 18 1 66 years

2 2112/2 25/5 - miss only online)

2 2112/2 25/5 - miss only online)

Fo184-12255



हिमाचल प्रदेश



भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड,

द्वारा दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाएं

शादी हेतु वित्तीय सहायता :- पंजीकृत अविवाहित लाभार्थी के स्वयं के विवाह हेतु 51000/- रुपये तथा विवाहित लाभार्थी के दो बच्चों के विवाह हेतु 51000/- रुपये प्रत्येक बच्चा।

मातृत्व/ पितृत्व प्रसुविधा :- 1.पंजीकृत महिला लाभार्थी को प्रसव अवधि के समय अथवा बच्चे के जन्म पर मुबलिग 25000/- रुपये ।

- (2) पंजीकृत महिला को दो प्रसवों तक समय-समय पर प्रचलित न्यूनतम की दर से 90 दिन से 26 सप्ताह तक के लिए मातृत्व अवकाश।
- (3) पंजीकत कर्मगार की पत्नी को दो प्रसवों तक 6000/- रुपये प्रति प्रसव।
- (4) पुरूष लाभार्थी को पितृत्व सुविधा के तहत बच्चे के जन्म पर 1000/- की राशि प्रदान की जाएगी।

चिकित्सा सहायता :- पंजीकृत लाभार्थी और उसके आश्रितों को चिकित्सा उपचार हेतु अस्पताल/ सरकार द्वारा अनुमोदित/ चयनित अस्पतालों/ औषधालयों के चिकित्सा बिल प्रस्तुत करने पर प्रतिवर्ष बाह्य (Outdoor) चिकित्सा उपचार कि लिए 50000/- रुपये और अंतरंग (Indoor) चिकित्सा उपचार के लिए 1 लाख रुपये। इसके अतिरिक्त गंभीर बीमारी के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये।

मृत्यु सहायता :- यदि पंजीकृत सदस्य की मृत्यु दुर्घटना से होती है तो नाम निर्देशितों को 4 लाख रुपये एवं प्राकृतिक मृत्यु पर 2 लाख रुपये ।

अन्तिम संस्कार हेतु सहायता :- नाम निर्देशितों/ आश्रितों को 20000/- रुपये की राशि देय होगी ।

पैंशन सुविधा :- पंजीकृत लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पैंशन का हकदार होगा, न्यूनतम राशि 1000/- रुपये प्रतिमाह के हिसाब या फिर विकलांगता होने पर भी पैंशन दी जायेगी ।

विकलांगता पैंशन :- पंजीकृत लाभार्थी की दुर्घटना एवं बिमारी के कारण हुई विकलांगता की स्थिति में 500/- प्रति माह पैंशन देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त 50 प्रतिशत से अधिक विकलांगता की स्थिति में 50000/- और 50 प्रतिशत से कम विकलांगता में 25000/- की राशि प्रदान की जाती है।

बेटी जन्म उपहार योजना :- पंजीकृत लाभार्थी के दो बेटी के जन्म हेतु मु. 51000/- (प्रत्येक बेटी) की राशि एफ. डी. आर. के रूप में बोर्ड द्वारा दी जाएगी तथा जिसे बेटी के 18 वर्ष पूर्ण होने पर निकाला जाएगा।

मानसिक रुप से मंद/अपंग बच्चों के लिए योजना :- मानसिक रुप से मंद बच्चों तथा पंजीकृत लाभार्थी के अपंग बच्चों की देखभाल के लिए बोर्ड द्वारा मु. 200000/- की राशि प्रत्येक वर्ष दी जाएगी।

विधवा पैंशन योजना :- पंजीकृत लाभार्थी की विधवा को मु. 1500/- की राशि प्रत्येक माह बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी।

होस्टल सुविधा योजना :- पंजीकृत लाभार्थी के बच्चों को होस्टल में रहने पर बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष मु.15000/-से मु. 20000/- तक की राशि आवास, बोर्डिंग तथा भोजन के लिए प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री आवास योजना/पी.एम.ए.वाई. :- पंजीकृत लाभार्थी को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मु. 150000/- की राशि उनके पी.एम.ए.वाई. या एम.ए.वाई. योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वीकृत मकान बनाने हेतु बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी।

क्र. स.	पाठ्यकम	राशि (रुपये) प्रति वर्ष
1.	प्रथम कक्षा से आठवीं स्तर तक	8400/-
2.	नौवीं से 10+2 स्तर तक	12000/-
3.	स्नातक कक्षाएं :- (1) कला स्नातक (2) बी. एस. सी./बी. कॉम/बी. बी. ए. या इसके बराबर	36000/-
4.	स्नातकोत्तर :- (1) कला एवं वाणिज्य संकाय (2) विज्ञान संकाय	60000/-
5.	डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवधि :- एक वर्ष/ दो वर्ष/ तीन वर्ष	48000/-
6.	पोलिटेक्निक डिप्लोमा (तीन वर्ष) :-	60000/-
	व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसे मैडिकल/ इंजीनियरिंग इत्यादि । पी. एच. डी./ अनुसंधान पाठ्यक्रम	120000/-

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क कार्यालय :-श्रम अधिकारी, स्रोत्नन, जॉन स्रोत्नन हि० प्र० दूरभाष संख्या:- 01792 -227076